# भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
## तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः (23)टीएमटीसी / 2018–19 / 219

दिनांकः 12.06.2018

मै0 ______________________________

______________________________

______________________________

विषय : लिमिटेड टेण्डर / पोस्टल कोटेशन आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटी ऊन को निश्चित अनुपात में मिश्रित करते हुए नमदा बनाने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु आपकी फर्म / कम्पनी से न्यूनतमदर पर कोटेशन आमंत्रित किये जाते है–

| क्र.सं. | विवरण | अनुमानित मात्रा (किलोग्राम) | दर प्रति वर्गफीट | जीएसटी | कुल लागत सभी करों सहित (अंको व शब्दों में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | नमदा बनाने से सम्बन्धित कार्य | 8000 वर्गफीट | | | Rs.____________<br>रूपये ____________ |

नियम व शर्ते–

1. कोटेशन में दर्शायी गई दरें सभी करों एवं खर्चो सहित कम्पनी / गोदाम होनी चाहिए।
2. प्रस्ताव फर्म की निश्चित दरों के आधार पर ही स्वीकार किया जावेगा। न्यूनतम राशि का निर्धारण अनुबन्ध की समस्त कुल लागत क्र.सं. 1 के आधार पर किया जायेगा।
3. प्रस्ताव में केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा आवंटित जीएसटी नम्बर / पेन नं. एवं उक्त कार्य से सम्बन्धित सामान पर लगने वाले बिक्रिकर एवं अन्य कर जो भी लागू हो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। संस्थान द्वारा किसी प्रकार का 'सी' व 'डी' फार्म जारी नहीं किया जावेगा।
4. कोटेशन में दर्शाई गई दरों की वैधता कोटेशन खोलने की तिथि से 120 दिवस होनी चाहिए।
5. कोटेशन के साथ अमानत राशि 3,500.00 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.एस.डब्लू.आर. आई. अविकानगर के नाम से एस.बी.आई., मालपुरा की शाखा मे देय हो संलग्न होना चाहिए।
6. कोटेशन में किसी भी प्रकार की कटिंग / ओवरराईटिंग नही होनी चाहिये, यदि कटिंग / ओवरकटिंग होती हैं तो उसे संबंधित द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। असत्यापित संशोधित / ओवरराईटिंग अंक / राशि को स्वीकार नही किया जावेगा।
7. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 05–07–2018 है इसके उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नही किया जावेगा।
8. कोटेशन बन्द लिफाफे में होना चाहिये तथा कोटेशन का नाम, फा.क्र.(23)टीएमटीसी / 2018–19 / एवं अन्तिम तिथि 05–07–2018 अंकित होनी चाहिये।
9. नमदा बनाने के लिये ऊनी लेफा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा। नमदा में डिजाईन बनाने के लिये लगने वाली फिलाई के लिये महीन (फाईन वूल) ऊन का लेफा भी संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. नमदा बनाने में होने वाली छीजत अधिकतम 150 ग्राम प्रति किलों लेफे तक ही मान्य होगी तथा अधिक छीजत होने पर उचित ठेकेदार के बिल से उचित कटौती की जावेगी।
11. नमदा बनाकर नमदे की रंगाई, मिलिंग, डिजाईन, पेचवर्क प्रभारी टी.एम.टी.सी. / प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करनी होगी।
12. नमदे का वजन, नाप व नग के प्रति वर्ग फुट के आधार पर भुगतान किया जावेगा।
13. नमदा बनाने से सम्बन्धित कार्य ठेकेदार प्रक्षेत्र से बाहर भी करवा सकता है।
14. ठेकेदार / प्रतिनिधि को नमदे बनाने आदि से सम्बन्धित कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का कार्यानुभव होना आवष्यक है।
15. ठेकेदार / प्रतिनिधि द्वारा नमदा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने कि स्थिति में ठेकेदार के पारिश्रमिक से कटौती कर ली जावेगी जिसकी जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
16. ठेकेदार / प्रतिनिधि को समस्त कार्य प्रभारी, टी.एम.टी.सी. / प्रतिनिध के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
17. कार्य शीघ्रातिशीध्र अविलम्ब पूरा करना होगा तथा कार्य समय पर पूर्ण न करने पर नियमानुसार Liquidated Damage Clause लागू होगा।
18. सफल कोटेशनदाता को कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जमानत राशि इस संस्थान को जमा कराने के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। साथ ही आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त निर्धारित समय में वापस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
19. भुगतान का बिल 3 प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने के उपरान्त उचित समयावधि 30 दिवस के भीतर–2 किया जावेगा।
20. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा, जो कि दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
21. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक / सभी कोटेशनों और आपके पक्ष में जारी अनुबन्ध ओदश को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

22. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in पर भी उपलब्ध है।
23. अनुबन्धकार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग से कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नम्बर 01437–220179 पर प्राप्त की जा सकती है।

(डॉ0 डी0बी0 शाक्यवार)
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी टीएमटीसी विभाग

वितरण :

1. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं संस्थान वेब साईट पर प्रसारण हेतु।
2. प्रभारी, क्रय एवं भण्डार अनुभाग
3. निदेशक महोदय को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

मै/हम उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई दरों पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटी ऊन को निश्चित अनुपात में मिश्रित करते हुए नमदा बनाने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु सहमत है तथा कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते (क्रम संख्या 1 से 21 तक) मुझे/हमें स्वीकार है।

दिनांक ————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

बैंक खाता विवरण

पेन नं.

नोटः— लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो की मूल/प्रतिलिपि संलग्न करें—

1. अमानत राशि रूपये 3,500.00 बिन्दू क्रमांक 5 में दर्शाये अनुसार
2. फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि
3. फर्म के TIN / PAN No. की प्रतिलिपि
4. फर्म के पंजिकरण की प्रतिलिपि
5. फर्म के गत वित्त वर्ष के सालाना टर्न ओवर की प्रतिलिपि